... s in this court

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1509–पीबीआर/11 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–07–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 346/अपील/2009–10.

धर्मेन्द्र पुत्र दिनेश चन्द्र केवट,
निवासी ग्राम ऐंचदा, तहसील नटेरन
जिला– विदिशा (म.प्र.) ---- आवेदक

विरूद्ध

1– गनपत सिंह पुत्र अनंदी कुशवाह
2– लाखन सिंह पुत्र रंजीत सिंह राजपूत
3– जगदीश प्रसाद पुत्र कोकसिंह राव,
4– मंजीदखां पुत्र मीरखां
निवासीगण– ग्राम ऐंचदा तहसील नटेरन
जिला विदिशा (म.प्र) ---- अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गिरी ।
अनावेदक क. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह ठाकुर ।
अनावेदक क. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एन. गौर ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 04-06-2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 346/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 29–7–11 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम ऐंचदा, तहसील नटेरन के

चोकीदार पद पर हल्कूराम पदस्थ था उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उक्त ग्राम में चौकीदार का पद रिक्त हुआ, जिसकी पूर्ति हेतु विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन आमंत्रित किये गये । विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त आवेदनों पर विचार कर आदेश दिनांक 13.11.09 द्वारा आवेदक की नियुक्ति चौकीदार के पद पर की । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क. 1 ने एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की जो उन्होंने आदेश दिनांक 15.3.10 द्वारा स्वीकार की एवं तहसील का आदेश निरस्त किया तथा अनावेदक क. 1 को कोटवार नियुक्त करने का आदेश दिया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की एवं प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि वे आवेदक एवं अन्य अभ्यर्थियों की योग्यता के संबंध में दिए गए प्रावधानों के अनुसार परीक्षण कर विधिसंगत आदेश पारित करें । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिये गये हैं कि आवेदक पूर्व कोटवार का नाती है उसे पूर्व कोटवार की पत्नी की सहमति के आधार पर नियुक्त किया गया था उसे कोटवारी कार्य का पूर्ण अनुभव है वह नियुक्ति दिनांक को व्यस्क हो चुका था इस ओर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान न देकर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि उसकी नियुक्ति करते समय कोई आपत्ति नहीं की गई । विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण जांच का नियुक्ति आदेश आवेदक के पक्ष में दिया था जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांतों पर कोई ध्यान नहीं दिया है ।

4/ अनावेदक क. 1 द्वारा लिखित तर्क पेश किए गए हैं ।

5/ अनावेदक कमांक 2 की ओर से तर्क दिया गया कि चौकीदार की नियुक्ति करने का अधिकार एस.डी.ओ. को नहीं है । पुलिस रिर्पोट उनके पक्ष में है । अनावेदक क. 2 पढ़ा लिखा है ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण कोटवार की नियुक्ति के संबंध में है । प्रकरण में आवेदक द्वारा दिनांक 14–7–2009 को तथा एक आवेदन दिनांक 2–9–09 को पेश किया गया । इस

पद हेतु लाखनसिंह, जगदीशप्रसाद एवं मजीद खां, गणपतसिंह के द्वारा भी आवेदन दिए गए । गणपतसिंह की अनुशंसा ग्राम पंचायत द्वारा की गई । तहसीलदार ने आवेदक की नियुक्ति का आदेश दिया । इसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गणपतसिंह को कोटवार के पद पर नियुक्त किए जाने का आदेश दिया गया । अपर आयुक्त ने एस.डी.ओ. के आदेश को विधिवत नहीं माना है क्योंकि कोटवार नियुक्ति के आदेश का अधिकार तहसीलदार को है । उन्होंने यह भी पाा है कि प्रकरण अन्य अभ्यर्थियों के संबंध में तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में कोई विवेचना नहीं की है और उक्त आधार पर अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है कि वे आवेदक के अतिरिक्त अन्य अभ्यर्थियों की योग्यता के संबंध में संहिता में दिए गए प्रावधानों के अनुसार परीक्षण कर विधिसंगत आदेश पारित करें । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं समतामय होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर